

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना**  
**(भू-अर्जन निदेशालय)**

-: अधिघोषणा :-

अधिघोषणा सं० :- 2137 / 27०

दिनांक :- 03-09-13

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - हरपुर बसंत, प्रगना - रत्ती, थाना - लालगंज, हाल थाना- वैशाली, थाना नं० - 46 जिला - वैशाली में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि पूर्वोक्त ग्राम - हरपुर बसंत के भीतर कर्मावेश मानक माप से 72.23½ एकड़ के बराबर होता है, एक भूखण्ड अपेक्षित है, जिसका खेसरा संख्या एवं चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

**खेसरा अनुसूचि**

पूर्ण खेसरा सं०-23अंश,24,25पूर्ण, 26अंश, 27 अंश, 28,29,30 पूर्ण,31 अंश, 32 अंश, 34अंश,36 अंश 37,38,39,40,41,42,43,44 पूर्ण,45 अंश, 46 अंश,47,48 पूर्ण, 49 अंश, 50 अंश, 51 अंश, 52,53 पूर्ण, 54 अंश, 56 अंश, 57 अंश, 58 अंश, 59,60, 61,62,63,64,65,66,67,68,76 पूर्ण, 78 अंश, 92 अंश, 91 अंश, 93, 94 पूर्ण 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,108,109,110,111,112,113, 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130 131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147 148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164 165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181, 182, 183, 183/654, 184,185,186, 187, 188,189, 190, 191, 192, 193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210, 211,212पूर्ण, 287 अंश, 288 अंश, 289,290,291,292,293,294,295,296,297 पूर्ण, 298अंश,299,300,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317, 318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335 336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353, 354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371, 372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384, पूर्ण 385, 386 अंश, 390, 408 पूर्ण, 409 अंश,410,411,412 पूर्ण, 413 अंश, 414 अंश 425 पूर्ण, 426 अंश,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,440,441,442,443,444 पूर्ण, 445 अंश, 448 अंश, 449 अंश, 450 पूर्ण, और 451 अंश, 387, 388, 389 पूर्ण

**सीमा अनुसूचि (चौहद्दी)**

- उत्तर :- अंश खेसरा सं० 57,56,51,50,49,46,45,36,34,32,31,30,27,26,23,451,449,448, 445,440,437,429, पूर्ण खेसरा सं० 496,497 और 69
- दक्षिण :- ग्रामीण सड़क (खेसरा सं० 227) पूर्ण खेसरा सं० 213,217,218,239,240,241,
- पुर्व :- अंश खेसरा सं० 425,426,414,413 पूर्ण खेसरा सं० 407,अंश खेसरा सं 409,385, 386,390,288,287,289,299,300 पूर्ण खेसरा सं० 301,302,213,214, 219,220,224 और 225
- पश्चिम :- ग्रामीण सड़क, अंश खेसरा सं० 91,92,78 पूर्ण खेसरा सं० 77,75,69,70,71 और 48

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1/1894 की धारा 6 में संशोधन अधिनियम 11/1961 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका उससे संबंध हो। इसका नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, वैशाली के कार्यालय में देखा जा सकता है।



बिहार राज्यपाल के आदेश से

*Edk*  
सरकार के अवर सचिव,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 2137/य०

दिनांक :- 03-03-13

- प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार सरकार पटना को तीन अतिरिक्त प्रतियों के साथ (सीडी सहित), दो दैनिक समाचार पत्रों जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं प्रकाशनोपरान्त समाचार की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर) को प्राप्त कराने की कृपा की जाय।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/समाहर्ता, वैशाली / जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, वैशाली को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ, प्रेषित एवं प्रकाशित गजट की दस प्रतियों जिला भू-अर्जन कार्यालय, वैशाली को भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला अवर निबंधक/अवर निबंधक, चहाजीपुर/महुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



*ow*  
*2/9/13*  
सरकार के अवर सचिव,  
बिहार, पटना